| |
|---|
| दिनांक 01.09.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 01/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद चित्रकूट/थाना कोतवाली कर्वी**

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 07 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को थाना कोतवाली कर्वी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिहारा के पास से 02 अभियुक्तों 1–मनीष 2–सोनू उर्फ पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 07 हजार 200 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23/24.08.2024 को थाना कोतवाली कर्वी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनीष के विरूद्ध जनपद चित्रकूट व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग एवं अभियुक्त सोनू उर्फ पुष्पेन्द्र के विरूद्ध जनपद चित्रकूट व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मनीष निवासी सिरमौर थाना सिरमौर जनपद रीवा मध्यप्रदेश।

2–सोनू उर्फ पुष्पेन्द्र निवासी सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा मध्यप्रदेश।

**बरामदगी**

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 07 हजार 200 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन आदि।

**जनपद बिजनौर/थाना कोतवाली देहात**

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 67 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजनौर रोड़ मालीवाला तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक उ0नि0 घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–तनजीम उर्फ भूरा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मो0 अनस 3–शुऐब 4–अरसद उर्फ असद 5–आदिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 67 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त तनजीम उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त मो0अनस, शुऐब, अरसद उर्फ असद व आदिल के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06–06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–तनजीम उर्फ भूरा निवासी ग्राम उमरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर, हालपता सुभाष विहार नोर्थ गोण्डा चौक थाना भजनपुरा दिल्ली।

2–मो0 अनस निवासी सुभाष मोहल्ला नोर्थ गोण्डा थाना भजनपुरा दिल्ली।

3–शुऐब निवासी विजय पार्क सी–12, गली नं0–18 थाना भजनपुरा दिल्ली।

4–अरसद उर्फ असद निवासी सुभाष मोहल्ला नोर्थ गोण्डा थाना भजनपुरा दिल्ली।

5–आदिल निवासी सुभाष मोहल्ला नोर्थ गोण्डा थाना भजनपुरा दिल्ली।

**बरामदगी**

1–चोरी के माल बिक्री के 67 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

## जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिखेडा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 31/01.09.2024 को थाना सिखेडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर असदनगर चौराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया

गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नदीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–नदीम निवासी ग्राम नई बस्ती निराना थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर।

**<u>बरामदगी</u>**

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

## <u>जनपद हरदोई/थाना पिहानी</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 45 हजार 450 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को थाना पिहानी थाना मझिला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र 2–राधामोहन 3–अरूण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 45 हजार

450 रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राधामोहन शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सीतापुर, खीरी, बरेली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पिहानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियक्त**

1–धर्मेन्द्र निवासी उधवापुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

2–राधामोहन निवासी बडागांव बाजार थाना महोली जनपद सीतापुर।

3–अरूण निवासी उधवापुर थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

**बरामदगी**

1–चोरी के 45 हजार 450 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–02 चार पहिया वाहन आदि।

## जनपद चन्दौली/थाना अलीनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 31.08.2024 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेवसा रिंग रोड रेलवे अण्डरपास के पास से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया एवं 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.08.2024 को थाना अलीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अलीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अलीनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सोनू निवासी सोनकर बस्ती दामोदर दास पोखरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

**बरामदगी**

1–चोरी के आभूषण आदि।

## कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना एक्सप्रेसवे

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **570 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छपरौली कट के पास से अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 570 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना एक्सप्रेसवे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सुनील कुमार निवासी न्यू शिमलापुरी सतगुरू नगर थाना डाबा जनपद लुधियाना पंजाब।

**बरामदगी**

1–570 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 ट्रक आदि।

- **जनपद बाराबंकी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद बाराबंकी पुलिस ने अभियुक्त अरविन्द पाण्डेय पुत्र स्व0 देवी सहाय पाण्डेय निवासी अरहरिया थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, हालपता मयूर रेजीडेन्सी थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 20 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

———————